न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 49/2023

अपीलांटगण–
1. रामलाल पुत्र तिलोकाराम
2. मूलाराम पुत्र तिलोकाराम
3. सुखीदेवी पत्नी तिलोकाराम
4. पेमाराम पुत्र सोनाराम
5. हरचन्द पुत्र सोनाराम
   जातियान मेघवाल

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1 धारूराम पुत्र सोनाराम
2 अणछीदेवी पत्नी पुरखाराम
3 कमला पुत्री पुरखाराम
4 चनणी पुत्री पुरखाराम
5 मांगी पुत्री पुरखाराम
6 कंवराराम पुत्र मगाराम
7 धूड़ीदेवी पत्नी मगाराम
8 प्रहलादराम पुत्र रूगनाथराम
9 नरसिंगाराम पुत्र रूगनाथराम
10 रीड़मलराम पुत्र तुलछाराम
11 देराजराम पुत्र तुलछाराम जातियान मेघवाल निवासियान सिणधरी उर्फ वेड़ तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./22 दिनांक 30.06.2021 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री पुनमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतसिंह खारवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण सं. 2 से 11 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 14.05.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./22 दिनांक 30.06.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2023 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सिणधरी उर्फ वेड़ तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 27 रकबा 207.09 बीघा, 27/2 रकबा 51.16 बीघा 778 रकबा 54 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.06.2021 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/22 दिनांक 30.06.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि उक्त खसरान मौजा सिणधरी उर्फ वेड़ तहसील सिणधरी में अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को स्व. हरजीराम से विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। वादग्रस्त खेत के मौके पर अपीलांटगण संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलांट संख्या 3 के पति स्व. तिलोकाराम, अपीलांटगण संख्या 4, 5 व रेस्पो संख्या 1 के पिता सोनाराम, रेस्पों संख्या 2 के पति व रेस्पो. 3 से 5 के पिता स्व

जिला कलक्टर
बालोतरा

पुरखाराम, रेस्पो. संख्या 6 से 9 पूर्वज स्व रूगनाथराम एवं रेस्पों संख्या 10, 11 के पिता स्व तुलछाराम बहमी बंटवाड़ा किये गये के अनुसार अपने 1/5, 1/5 हिस्से खातेदारी के अनुसार अलग अलग काबिज काश्त थे। उनके फौत होने से उनके वारिसान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 11 मौके पर अपने पूर्वजों के हक हिस्से अनुसार काबिज है व अपने अपने हिस्से की भुमि में रहवासिया ढाणिया, पानी के टांके आए हुए है। रेस्पों. संख्या 1 ने अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 2 स 11 को मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकरान का 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार पृथक पृथक खातेदारी अंकन करने हेतु प्रस्ताव रखा। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 11 ने विभाजन समझौता प्रस्ताव रेस्पो. संख्या 12 के समक्ष प्रस्तुत किया। इस विभाजन के संबंध में तैयार नक्शे का ज्ञान अपीलांटगण को पूर्व में नहीं हुआ क्योंकि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण सभी एक ही खानदान से है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पुत्र दुर्गाराम ने पटवारी से सांठ गांठ कर मौके कब्जे व बाहमी तौर से किये गया बंटवाड़ा 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार न कर गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया। रेस्पो. संख्या 1 के साथ अपीलांटगण संख्या 4, 5 जो तीनों ही पूर्व में 1/5 हिस्से अनुसार सामलाती में था, जो विभाजन प्रस्ताव में अलग बता दिये। जिस कारण अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण के मौके पर कब्जा काश्त व तरमीम में भिन्नता आ गई। रेस्पो संख्या 1 द्वारा अपीलांटगण की भूमि में जबरन कब्जा करने का प्रयास किये जाने लगा तथा मौके पर कब्जा के अनुसार वर्तमान नक्शे में की हुई तरमीम के अनुसार कब्जा करने हेतु कहा गया, जिस पर अपीलांटगण को तरमीम के बारे में संशय पैदा हुआ तथा अपीलांटगण ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई है। मौके पर जहां पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है व भूमि लट्टा ट्रेस में उतरदाता के पक्ष में तथा उतरदाता के कब्जे काश्त की भूमि को अपीलांटगण के पक्ष में गलत तरमीम कर दी गई है। जिससे अपीलांटगण की ढाणिया, चारबाड़े, आदि सहमति विभाजन के अनुसार अन्य खातेदारान के हिस्से में चले गये है। अपीलांटगण को सर्वप्रथम गलत विभाजन कर अशुद्ध तरमीम करने की जानकारी अपीलांटगण को उक्त सहमति विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.12.2022 को प्राप्त हुई। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 11 के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है। नक्शा ट्रेस की तरमीम वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की ढाणिया, बाड़े, पानी के टांके एक दुसरे के कब्जे में आ रहे है। विभाजन पक्षकरान के भौतिक कब्जे के अनुसार नही किया है, बल्कि अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेंटगण के हिस्से में रखते हुए किया गया है। जबकि मौके पर उसके विपरीत कब्जा काश्त है। मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम किया जाना न्याय संगत है। सभी खातेदार एक ही परिवार से होने व आपस में भाईयों पर अटुट विश्वास रहा है। अपीलांटगण ने अटुट विश्वास पर खाली पेपरों पर हस्ताक्षर कर दिये। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पुत्र ने पटवारी से मिली भगत करते हुए पक्षकारान के हस्ताक्षकरों पर अपने हिसाब से तरमीम नक्शा मुर्तिब किया गया है। यह आवश्यक है कि दो सहखातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जावे तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था, परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते करते समय विद्वान तहसीलदार सिणधरी ने अहम मुद्दों को अनदेखा कर विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने व मौके पर भैतिक कब्जा काश्त के अनुसार न होने से उक्त आलोच्य अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 2 से 11 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि खसरा नंबर 26 रकबा 0.04 बीघा, 27 रकबा 207.09 बीघा एवं 27/2 रकबा 51.16 बीघा भूमि मौजा सिणधरी उर्फ वेड़ तहसील सिणधरी में अवस्थित है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को स्व. हरजीराम से विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त आलोच्य भूमि संबंधी विवाद धारा 88, 53, 188 के तहत वाद संख्या 227/2013 अनवान तिलोकाराम बनाम तुलछाराम व अन्य कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विचाराधीन था। जिस संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा बनाए गए मौका नक्श व मौका फर्द का प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 28.04.2015 को सहायक कलक्टर गुडामालानी के समक्ष पेश कीया गया, जिसमें उक्त खसरान के मौके पर 5 भाग किए हुए है, वादी तिलोक का कब्जा काश्त है, रिकोर्ड में बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है। वादी तिलोक का उक्त खसरान में 1/5 वा

जिला कलक्टर
बालोतरा

हिस्सा है और हिस्सानुसार कब्जा काश्त बताया गया है। उक्त वाद में सहायक कलक्टर, गुडामालानी के निर्णय दिनांक 15.07.2016 (केम्प ग्राम पंचायत नगर) में वादगस्त आराजी सरहद मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा नंबर 26, 27 व 27/2 में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान किये गए। उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी का आलोच्य आदेश क्रमांक/भू.अ./22 दिनांक 30.06.2021 को जारी आदेश को अपास्त कर उक्त खसरान का पुनः नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार विभाजन किये जाए।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा सिणधरी उर्फ वेड़ तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 27 रकबा 207.09 बीघा, 27/2 रकबा 51.16 बीघा 778 रकबा 54 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण द्वारा तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/22 दिनांक 30.06.2021 को पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 11 के अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। साथ ही न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा मुकदमा नंबर 227/2013 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2016 की पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा बनाए गए मौका विभाजन मानचित्र में उक्त मुकदमा के वादी (तिलोकाराम पुत्र हरजीराम) एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में सहमति विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/22 दिनांक 30.06.2021 में दी गई भूमि के मौका नक्शा में परस्पर अंतर है। इस प्रकार तहसीलदार सिणधरी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु

जिला कलक्टर
बालोतरा

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक/भू.अ./22 दिनांक 30.06.2021 अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा मुकदमा संख्या 227/2013 दिनांक 15.07.2016 में जारी निर्णय की पालना में मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा